(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1314–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला बुरहानपुर, प्रकरण कमांक 120/अ–12/2014–15.

.....

1–श्रीमती दिप्ती पति संदीप टिल्लानी
निवासी सिंधी बस्ती शहर तहसील व जिला बुरहानपुर
2–श्रीमती उर्मिला बेन पति दामोदर कापडिया
निवासी रमेश भवन दालियावाडा राजपुरा
शहर तहसील व जिला बुरहानपुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गुरूशरणसिंह पिता स्व0तनवंतसिंह कौर
निवासी कीर भवन लालबाग रोड शहर
तहसील व जिला बुरहानपुर एवं अन्य पता
कीर मंजिल शिरिन विला कोएफिजा रोड भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री वी0के0गुप्ता , अभिभाषक– आवेदकगण
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर बुरहानपुर ग्राम लालबाग माल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 156/1 रकबा 6.08 एकड़ का सीमांकन कर नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा सीमांकन करने हेतु तहसीलदार को पत्र लिखा गया । तहसीलदार द्वारा सीमांकन दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 19–1–2016

को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 156/1 के बटां नम्बर कायम होंकर सर्वे नम्बर 156/1 लगायत 156/18 कायम हुये हैं और इनके सभी भूमिस्वामी द्वारा काबिज होकर पक्का निर्माण कर लिया गया है इसलिये उनका बटवारा कर नक्शे में संशोधन किया जाना संभव नहीं है ।

(2) अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा संहिता की धारा 124 के अन्तर्गत बने नियम 2 व 3 के अनुसार स्थायी सीमांकन चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है और न ही तिमेडा/चौमेडा ढुढने का प्रयास किया गया है ।

(3) सर्वे नम्बर 156 के आस पास कौन से सर्वे नम्बर है इसका कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं किया गया है ।

(4) आवेदक कमांक 1 ने आवेदक कमांक 2 से सर्वे नम्बर 156/8 रकबा 0.606 हेक्टेयर भूमि कय की है इसके बावजूद भी आवेदकगण को सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है इसलिये सीमांकन अवैध है ।

(5) यह प्रकरण नक्शा दुरूस्ती का है जिसके अधिकार संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत कलेक्टर को प्राप्त है, तहसीलदार नक्शा दुरूस्ती नहीं कर सकता है इसलिये तहसीलदार का आदेश अधिकारिता विहिन आदेश है ।

तर्क के समर्थन में 2009 आरएन 161, 2002 आरएन 238, 2009 आरएन 403 एवं 2014 आरएन 69 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में यह निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और जानकारी का स्त्रोत नहीं दर्शाया गया है । सीमांकन आदेश की जानकारी आवेदक कमांक 2 को होना बतलाया जा रहा है, जबकि वह 60 वर्ष की महिला है और 60 वर्ष की महिला न्यायालय में नहीं जाती है । यह भी कहा गया कि सीमांकन आदेश की जानकारी किन परिस्थितियों में हुई और आवेदकगण कमांक 2 किस कारण से

न्यायालय में गये यह नहीं बतलाया गया है । अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से ही निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार का आदेश केवल सीमांकन आदेश नहीं है । तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम, बटांन ट्रेस पंचनामा व प्रतिवेदन को आदेश का अभिन्न अंग माना है इसलिये इनकी भी प्रमाणित प्रति निगरानी मेमों के साथ प्रस्तुत करना चाहिये थी जो कि नहीं की गई है । अतः यह निगरानी विधि के अनुसार प्रस्तुत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि मूल आदेश के साथ पंचनामें की प्रमाणित प्रति इसलिये प्रस्तुत नहीं की गई है कि ई.टी.एस. मशीन से गणना मीटर से होती है, जबकि फील्डबुक में जरीव से गणना की गई है । अतः पंचनामा एवं फील्ड बुक विरोधाभासी है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को सर्वे नम्बर 156/8 के अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुये है और सीमांकन के संबंध में विवाद क्यों हुआ है यह भी नहीं बतलाया गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन स्थायी सीमाचिन्हों से नहीं किया जाकर कृषकों द्वारा बताई गई सीमाओं का सीमांकन किया गया है, जबकि संहिता की धारा 124 के अन्तर्गत निर्मित स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया जाना चाहिये। यहॉ तक कि सीमांकन दल द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों में तिमैडा व चौमेड़ा तक को खोजने का प्रयास नहीं किया गया है । इस संबंध में 2009 आरएन 161 जगदीश प्रसाद विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सीमांकन प्रथमतः संहिता की धारा 124 के अनुसार स्थायी सीमाचिन्हों से किया जाना चाहिये और स्थायी सीमांचिंहों के अभाव में निकट के सर्वेक्षण संख्या के सही चिन्हों से किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा सीमांकन में आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषकों को भी सूचना नहीं दी गई है ।

इस संबंध में 2014 आरएन 69 बद्रीप्रसाद विरूद्ध रामस्वरूप जाटव तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

"धारा–129 – सीमांकन – सटे हुये कृषकों को सूचना दी जाना चाहिये – सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् – प्रतिकूलरूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा सीमांकन एवं बटांकन आदेश एकसाथ पारित किये गये हैं, जबकि दोनों के संहिता में पृथक–पृथक प्रावधान है । यहॉ विचारणीय प्रश्न यह है कि तहसीलदार द्वारा अपरोक्ष रूप से नक्शे में भी संशोधन किया गया है, जबकि संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत नक्शे में संशोधन करने का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है ।

इस संबंध में 2002 आरएन 238 शिवनाथ प्रसाद श्रीवास्तव तथा अन्य विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

"धारा 107 – खेत के नक्शे की तैयारी और पुनरीक्षण – बंदोबस्त अधिकारी द्वारा राजस्व सर्वेक्षण के समय तथा कलेक्टर द्वारा समय समय पर किया जा सकता है ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा प्र.क्र. 120/अ–12/2014–15 में की गई समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 19–01–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर